प्रेस विज्ञप्ति

07.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स जयप्रकाश सेवा संस्था और मेसर्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 400 करोड़ रुपये (लगभग) के वर्तमान बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्की मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल), और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी चल रही धन शोधन जांच का हिस्सा है, जो जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट के लिए घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गबन के संबंध में है।

ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की वित्तीय अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जेपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की है। ये शिकायतें जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट के घर खरीदारों ने दर्ज कराई थीं, जिसमें जेआईएल, जेएएल और उनके प्रमोटरों/निदेशकों, जिनमें मनोज गौर भी शामिल हैं, पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि हजारों घर खरीदारों से आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए इकट्ठा किए गए धन को निर्माण के अलावा दूसरे कामों में विपथित किया गया, जिससे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला कि जेएएल और जेआईएल ने 25000 से अधिक घर खरीदारों (जैसा कि एनसीएलटी ने दावों में माना है) से लगभग 14,599 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिसमें से बड़ी रकम का इस्तेमाल निर्माण के अलावा दूसरे कामों के लिए किया गया और उसे जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) जैसी संबंधित समूह कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में यह भी पता चला है कि मनोज गौर जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंधन ट्रस्टी हैं, जिसे विपथित किए गए धन का कुछ हिस्सा मिला था। इसके अलावा, जांच में यह भी उजागर हुआ है कि मनोज गौर ने जेआईएल और जेएएल की संपत्तियों को दूसरी कंपनियों में विपथि किया, जिसमें मेसर्स पेज 3 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसे हनी कटियाल नियंत्रित करते हैं और जिसके असली मालिक भी वही हैं।

इससे पहले, 23.05.2025 को ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और संपत्ति भी शामिल थे। तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड, साथ ही धन-शोधन और धन विपथन के अपराध के सबूत वाले दस्तावेज भी ज़ब्त किए।

जांच में जेपी समूह और उससे जुड़ी कंपनियों के बीच लेन-देन के जटिल जाल के ज़रिए धन विपथन की योजना बनाने और उसे लागू करने में मनोज गौर की मुख्य भूमिका सामने आई है। मनोज गौर को 13.11.2025 को पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।